सीएसआईआर-केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पिलानी (राजस्थान)- 333031

सं.SO/E-III/Misc./2020-कोविड दिनांक- 05.04.2021

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- कोविड- 19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने हेतु आवश्यक व्यवस्था व टीकाकरण जन जागरण अभियान ।

कोविड- 19 की रोकथाम/निगरानी हेतु संस्थान में गठित समिति की दिनांक 05.04.2021 को प्रातः 10:00 बजे निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने तथा इस संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 04.04.2021 को जारी आदेशों के अनुपालन पर हुई गहन चर्चा के उपरांत लिए गए निर्णय सभी सहकर्मियों की सूचना एवं अनुपालन हेतु अधिसूचित किए जाते हैं। बैठक में लिए गए निर्णय निम्नवत हैं -

1. संस्थान में कार्यरत 45 वर्ष एवं अधिक आयु के नियमित सहकर्मी/कंट्रेक्ट स्टाफ/पीएचडी स्कॉलर आदि व इनके परिजन जो कोविड वैक्सीन लगवाने के ईच्छुक हों, अपने व अपने परिवारजनों का विवरण (नाम, उम्र, आधार कार्ड व मोबाईल नंबर) प्रशासनिक अधिकारी- 2 के कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि राज्य सरकार के सहयोग से संस्थान की डिस्पेंसरी में टीकाकरण की व्यवस्था की जा सके।

2. संस्थान में आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों/छात्रों/अभिभावकों आदि के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अनावश्यक कार्य से तथा बिना मास्क के किसी भी गेट से संस्थान एवं कॉलोनी में अंदर आने की अनुमति नहीं होगी।

3. कॉलोनी स्थित शॉपिंग परिसर के दुकानदार स्वयं मास्क पहनें एवं ग्राहकों से मास्क पहनने के लिए कहें व सोशल डिस्टेंस की अनुपालना सुनिश्चित कराएं।

4. संस्थान की कैंटीन में भोजन/जलपान हेतु यह सुनिश्चित किया जाए कि एक साथ अधिक भीड़ न हो व सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना सुनिश्चित हो। इसके लिए भोजन का समय अलग-अलग रखा जा सकता है।

5. सीरी डिस्पेंसरी में नियमित रूप से ब्लड व शुगर आदि की नियमित जांच करवाने वाले कर्मचारी/पेंशनर/परिवार पेंशनर व उनके परिजनों के संदर्भ में सीरी डिस्पेंसरी के चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि डिस्पेंसरी में रोज अधिक भीड़ न हो। सामान्य स्थिति में डिस्पेंसरी के चिकित्सक से दूरभाष पर बातचीत करके भी सलाह ली जा सकती है।

6. संस्थान की कॉलोनी में घूमने के लिए बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों का कॉलोनी परिसर में प्रवेश अगले आदेशों तक प्रतिबंधित होगा। साथ ही संस्थान के सहकर्मियों व उनके परिजन, जो सुबह-शाम कॉलोनी में घूमते हैं, के लिए मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा।

7. संस्थान में एसीएसआईआर के छात्रों की नियमित कक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित रहेंगी तथा आवश्यकतानुसार ये कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएं।

8. दूसरे राज्य से आने वाले कर्मचारियों व उनके परिजनों को संस्थान में पहुंचने पर 72 घण्टे के अंदर-अंदर अपनी कोरोना जॉच अनिवार्य रूप से करवानी होगी तथा जब तक उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती है तब तक ये सभी सहकर्मी/उनके परिजन अपने आवास में आईसोलेशन में रहेंगे ।

9. सभी विभागाध्यक्ष अपने अधीन कार्यरत सहकर्मियों के बैठने हेतु सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी समय कक्ष में एक साथ अधिक लोगों की भीड़ न हो।

सभी सहकर्मी उपर्युक्त बिंदुओं के साथ-साथ भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा जारी कोविड संबंधी अन्य दिशानिर्देशों का निष्ठापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें। कोविड टीकाकरण अभियान में भी सभी सहकर्मियों का सहयोग प्रार्थनीय है।

यह कार्यालय ज्ञापन निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

महेन्द्र सिंह 05/04/2021

(महेन्द्र सिंह)
प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपिः-

1. निदेशक/प्रशासनिक अधिकारी के नीजी सचिव।
2. सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमुखों को ई-मेल के माध्यम से।
3. सुरक्षा अधिकारी।
4. आवासीय चिकित्सा अधिकारी, सीरी डिस्पेंसरी।
5. संस्थान के सभी सूचना पट्ट।
6. प्रभारी एनएमसी-इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे सभी की सूचनार्थ संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।